समाहरणालय, दरभंगा।
(जिला स्थापना शाखा)

दिनांक— 25.01.2018 को आयोजित समाहरणालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गत पाक्षिक कार्यों एवं विभागीय कार्यवाही की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

क्र०सं०	लिए गए निर्णय का सारांश	अनुपालन हेतु संबद्ध पदाधिकारी
1.	**(क)स्थापना शाखा :—** (1). लिपिक संवर्ग का 05 एवं राजस्व कर्मचारी संवर्ग का 02 मामला बताया गया। लिपिक संवर्ग में श्री उदय चन्द्र चौधरी, सेवानिवृत लिपिक केवटी प्रखंड को दण्डादेश पत्र निर्गत के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाना बताया गया। श्री लक्ष्मी यादव, सेवानिवृत लिपिक के विभागीय कार्यवाही हेतु संचिका उपस्थापित होना बताया गया। शेष रंजीत कुमार कर्ण, लिपिक जाले प्रखंड, श्री हरिलाल महतो, लिपिक किरतपुर अंचल एवं श्री मसीउज्जमा प्रधान लिपिक कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (2). श्री कुमार प्रसाद कर्ण, राजस्व कर्मचारी हनुमाननगर अंचल एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी हनुमाननगर अंचल सम्प्रति जाले अंचल के लंबित विभागीय कार्यवाही पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (3). कार्यपालक सहायक का नया पैनल निर्माण की प्रक्रिया को अविलंब करने का निदेश दिया गया। (4). चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का पैनल रोस्टर के आलोक में करने का निदेश दिया गया। (5). शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग में कितने चतुर्थवर्गीय कर्मी का पद रिक्त है, उन विभागों से स्वीकृत बल से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की जाय। (6). रिक्त पदों पर एवं सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों की बहाली हेतु विज्ञापन निकालने की कार्रवाई की जाय। (7). लंबित विभागीय कार्यवाही पर सरकार से पत्र प्राप्त हुई है। संचालन पदाधिकारी को समय सीमा के अन्दर विभागीय कार्यवाही पर अंतिम प्रतिवेदन मंतव्य के साथ 90 दिनों के अन्दर भेजा जाना है। सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति सभी संबंधित संचालन पदाधिकारी को अनुपालन हेतु भेजी जाय। (8). लंबित 28 पत्रों पर अविलंब कार्रवाई की जाय।	स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा।
2.	**(ख) जिला पंचायत शाखा, दरभंगा :—** (1). लंबित 39 पत्रों पर अविलंब निष्पादन करने की कार्रवाई की जाय। (2). ठक्को पासवान, पंचायत सचिव, शिवजी मोची, कौशल किशोर सिंह, हरिशंकर प्रसाद एवं चन्द्र बिहारी लाल के विभागीय कार्यवाही पर स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया। (3). न्याय मित्र/न्याय सचिव के मानदेय के भुगतान का मामला अधिक है, जिसे अविलंब देखंकर दो सप्ताह के अन्दर कार्रवाई की जाय। (4). पंचायत सरकार भवन से संबंधित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने की कार्रवाई की जाय। (5). बिरौल नगर परिषद एवं बहेड़ी नगर पंचायत के मामला को क्रेटेरिया के आलोक में ही जॉच कराकर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। प्राप्त आपत्ति पर सुनकर निर्णय लेकर विभाग को भेजा जाना है, जो पंचायत है, शहरी में होनेवाले	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा।

	गॉव को ही लेना हैं। अगर क्रेटेरिया पुरा नहीं करते है, तो उसे हटाने का निदेश दिया गया। जॉच में नगर परिषद के क्रेटेरिया में होता है, तो उस पर कार्रवाई की जाय। यदि नहीं होता है, तो नगर पंचायत का ही प्रस्ताव देने हेतु कार्रवाई की जाय। आपत्तियों पर जॉच कराकर दो सप्ताह के अन्दर विभाग को प्रस्ताव भेजी जाय।	
3.	(ग). **जिला सामान्य शाखा, दरभंगा।** (1). लंबित पत्रों की संख्या 29 हैं, जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय। (2). सी0डब्लू0जे0सी0 01 लंबित मामला पर अविलंब कार्रवाई की जाय। (3). मृत चौकीदारों के मामला अधिक संख्या में लंबित है, जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित करने की कार्रवाई की जाय। (4). शस्त्र अनुज्ञप्ति के ट्रांसफर का मामला अधिक संख्या में लंबित है, जिसे अविलंब देखकर प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जाय।	प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, दरभंगा।
4.	(घ) **जिला नजारत शाखा, दरभंगा।** (1). जिला अभिलेखागार, दरभंगा को नई फोटो स्टेट मशीन क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है, जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय। (2) माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित यात्रा के व्यय का भुगतान अविलंब करने की कार्रवाई की जाय। (3) सर्किट हाउस का विद्युत से संबंधित कार्यो को अविलंब देखकर कार्रवाई की जाय। (4) माह नवम्बर तक का रोकड़ पंजी अद्यतन होना बताया गया। अंकेक्षण आपत्ति पर समन्वय कर लंवित कार्यो पर कार्रवाई की जाय। (5) लंवित ए0सी0/डी0सी0 बिल पर अविलंब कार्रवाई की जाय। (6) Intercom खराब है, जिसकी अविलंब मरम्मती कराई जाय। (7) सरकारी Condemn वाहनों की नीलामी हेतु संबंधित सभी विभागो से प्रतिवेदन की मांग की जाय। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन पर संचिका उपस्थापित की जाय। (8) सर्किट हाउस में 05 कर्मी कार्यरत होना बताया गया, जो कार्य नही करते है। Out Source का निविदा निकालने हेतु कार्रवाई की जाय।	नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा।
5.	(ड) **जिला आपदा प्रबंधन शाखा** । (1) आपदा राहत में चावल एवं ट्रक के भाड़ा का भुगतान किया जाना बांकी है, जिसपर अविलंब भुगतान करने की कार्रवाई की जाय। शेष पर भी देखकर भुगतान करने की कार्रवाई की जाय। (2) कार्यालय में लंवित पत्रों की संख्या अधिक है, जिसे अविलंब देखकर निष्पादन कराने की कार्रवाई की जाय। (3) संबंधित अंचलो से प्रपत्र– ix अविलंब प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। (4) समान क्रय किया जाना है, जिस हेतु समिति बनाई गई है, जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन,दरभंगा
6.	(च) **जिला राजस्व शाखा** । (1) जिला राजस्व शाखा में अधिक संख्या में पत्र लंबित है, जिसपर समीक्षा कर अविलंब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (2) परिवहन कार्यालय/प्रेक्षागृह एवं सदर अस्पताल हेतु भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्राप्त की जाय। (3) सैरात परता घोषित के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाय। (4) दरभंगा बस स्टेण्ड की वसूली पर नियंत्रण रखने हेतु सभी रसीदो के पन्ने	अपर समाहर्त्ता, दरभंगा।/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,सदर दरभंगा।

	पर हस्ताक्षर कर वसूली कराने की कार्रवाई की जाय। वसूली गई राशि को कोषागार में जमा कराने की कार्रवाई की जाय। (5) आई0टी0 आई0, बेनीपुर हेतु 03 एकड़ भूमि का प्रस्ताव की मांग करने की कार्रवाई की जाय। (6) बहेड़ी अंचल के हावीडीह का भूदानी पर्चा से संबंधित जमीन के रद्दीकरण का प्रस्ताव की मांग अंचल अधिकारी, बहेड़ी से की जाय। (7) विद्युत उपकेन्द्र का प्रस्ताव 04 जगहो से आना है। संबंधित अंचलो से प्रस्ताव की मांग करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया। (8) अनुमंडल मुख्यालय बिरौल को बिरौल प्रखंड में ही रखने की कार्रवाई की जाय। (9) कार्यपालक अभियंता (भवन), दरभंगा से संपर्क कर डाटा सेन्टर को हैण्ड औभर कराने की कार्रवाई की जाय। (10) कृषि गणना से संबंधित अर्ध्द सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है,जिसपर संबंधित अंचलों से प्रतिवेदन की मांग की जाय।	
7.	**(छ) जिला भू–अर्जन शाखा ।** किरतपुर प्रखण्डान्तर्गत गण्डौल एवं बिरौल प्रखंडान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र भवन के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव की मांग की जाय।	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।
8.	**(ज) आपूर्ति शाखा :–** (1) बिरौल अनुमंडल से संबंधित राशन कार्ड/अन्त्योदय योजना के अपात्र 39000.00 आवेदनों को डिलीट की जाय। (2) सदर अनुमंडल में जॉच कार्य धीमी है। जॉच कार्य में प्रगति लायी जाय। (3) मासिक प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली बैठक में मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित की जाय।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
9.	**(झ) जिला विकास शाखा :–** (1) लंबित पत्र अधिक संख्या में है, जिसपर अविलंब निष्पादन हेतु कार्रवाई की जाय। (2) जीविका/खेल उपकरण का निविदा निकालने हेतु कार्रवाई की जाय। (3) वाटर स्पोर्टस/जीम की योजना पर कार्रवाई की जाय। (4) प्रखण्ड व अंचल कार्यालय,हनुमाननगर के लिए जमीन लीज पर लेनी है। बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारी, हनुमाननगर के द्वारा बताया गया कि 2.32 डी0 सरकारी जमीन है, जिसका आर0एस0 खतियान खुल गया है। अंचल अधिकारी, हनुमाननगर को सर्वे न्यायालय से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (5) तारडीह/गौड़ाबौराम प्रखंड कार्यालय हेतु जमीन चिन्हित हुआ है, जिसे देखकर प्रस्ताव की मांग की जाय। (6) किरतपुर प्रखंड का मुख्यालय रसियारी ग्राम में करना है, जिस हेतु संचिका प्रस्तुत की जाय। (7) वाणेश्वरी स्थान को पर्यटन का दर्जा दिया जाना है, जिसपर कार्रवाई की जाय। (8) तारा मंडल, दरभंगा की योजना पर एन0ओ0सी0 हेतु कार्रवाई की जाय।	उप विकास आयुक्त/ अंचल अधिकारी, हनुमाननगर /प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास
8.	**(ञ) जिला विधि शाखा :–** (1) 23 पत्र लंबित है, जिसपर अविलंब निष्पादन की कार्रवाई की जाय। (2) कल्याणकारी योजनाओं की सूची प्राप्त कर विधि प्राधिकार को भेजी जाय । (3) प्रस्ताव भेजने हेतु पी0पी0/ए0जी0पी0/जी0पी0 की नियुक्ति से संबंधित	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा।

	संचिका को प्रस्तुत की जाय। (4) जी0पी0 / ए0जी0पी0 / पी0पी0 का मानदेय भुगतान पर कार्रवाई की जाय।	
9.	**(त) जिला निर्वाचन :–** (1) व्यय लेखा / हाउस सर्वे पर कार्रवाई की जाय। (2) लंबित ए0सी0 डी0सी0 विल पर कार्रवाई की जाय। (3) वी0वी0 पैट हेतु कार्रवाई की जाय।	उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा।
10.	**(थ) जिला भविष्य निधि :–** (1) सेवानिवृत कर्मियों / सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों के सेवान्त लाभ पर कार्रवाई की जाय।	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दरभंगा।
11	**(द) जिला योजना :–** (1) मंदिर घेराबंदी की योजनाओं पर कार्रवाई कर संचिका प्रस्तुत की जाय। (2) माननीय मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं से संबंधित पत्रों को देखकर कार्रवाई की जाय।	जिला योजना पदाधिकारी।
12	**(न) जिला कल्याण :–** (1) पोस्ट मैट्रिक वर्ष 2016–17 के आवेदनों पर जॉचकर कार्रवाई की जाय।	जिला कल्याण पदाधिकारी।
13	**(प) अल्पसंख्यक कल्याण :–** (1) एम0एस0डी0पी0 योजनाओं पर कार्रवाई की जाय। (2) मदरसा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि पर कार्रवाई की जाय। (3) कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजनाओं पर कार्रवाई की जाय।	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी।
14	**(फ) जिला निबंधन :–** (1) बिरौल अनुमंडल में निबंधन कार्यालय हेतु भूमि के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाय।	अवर निबंधन दरभंगा।
15.	**(ब) लंबित पत्र :–** (1) आवश्यक / अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण प्राप्त पत्रों पर पृष्टांकित कर संबंधित शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है, जिसपर अनुपालन कर विलंब के साथ संचिका प्रस्तुत की जाती है। सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी ऐसे पत्रों पर अविलंब संचिका प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी
16.	**(भ) शाखाओं का निरीक्षण :–** (1) सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी अपने शाखा का फरवरी माह में निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।	सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 267 स्था0 दिनांक 21 फरवरी–2018

प्रतिलिपि :– जिला मुख्यालय के सभी प्रशाखा प्रधान/प्रखंडों के प्रभारी वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, दरभंगा को जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

19/02/18

जिलाधिकारी,
दरभंगा।